## भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy आईआरएंडडब्ल्यू अनुभाग/IR&W Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan, छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.No.7/14/98-IR&W/

मार्च/March 30, 2009

## कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत आश्रित माता-पिता हेतु आय सीमा में संशोधन । Subject: Revision of Income limit for dependent parents under CHSS.

5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जो माता-पिता, मुख्य लाभभोगी पर पूर्णत: आश्रित हैं और सामान्यत: मुख्य लाभभोगी के साथ रहते हैं, उन्हें आश्रित के रूप में सीएचएसएस की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य हेतु आय सीमा दिनांक 27.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 17/99/आईआरएंडडब्ल्यू/200 के द्वारा रु.4000/- तक बढ़ाई गयी थी।

Consequent on the implementation of the recommendations of 5<sup>th</sup> CPC the income limit for dependency for the purpose of extending CHSS coverage to the parents who are wholly dependent on prime beneficiaries and are normally residing with prime beneficiary was enhanced to Rs. 4000/- vide OM No. 1/7/99/IR&W/200 dated 27/7/2000.

2. 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण कर्मश्वारी पर पूर्णत: आश्रित माता-पिता के संबंध में सीएचएसएस के तहत रु.4000/- की वर्तमान आय सीमा में संशोधन के बारे में विभाग में विचार में किया गया है। विभाग के सक्षम अधिकारी ने, मुख्य लाभभोगी पर पूर्णत: आश्रित और सामान्यत: मुख्य लाभभोगी के साथ रहने वाले माता-पिता की (माता-पिता दोनों की) सभी स्रोतों से कुल मासिक आय यदि रु.8000/- प्रति माह से अधिक नहीं है, तो उन्हें सीएचएसएस की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य हेतु यह सीमा प्रति माह वर्तमान रु.4000/- से बढ़ाकर रु.8000/- करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

With the implementation of 6<sup>th</sup> CPC recommendations, revision of the existing income ceiling limit of Rs. 4000/- under CHSS in respect of wholly dependent parents of employees has been under consideration in the Department. The competent authority in the Department has accorded the approval to revise the existing income ceiling of Rs. 4000/- to Rs. 8000/- per month for the purpose of providing CHSS coverage to the wholly dependent parents on prime beneficiaries, and normally reside with the prime beneficiary if their (both parents) total monthly income does not exceed Rs. 8000/- per month from all sources.

3. संशोधित आय सीमा रु.8000/- दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी है। The revised income ceiling limit of Rs. 8000/- is effective from 1.4.2009.

(पी. पी. माघवनकुद्दी P.P. Madhavankutty) स्टाफ संपर्क अधिकारी Staff Relations Officer

निदेशक, भापअकेंद्र Director, BARC निदेशक, आरआरकेट Director, RRGAT निदेशक, आईजीकार Director, IGCAR निदेशक, वीईसीसी Director, VECC

मुख्य कार्यकारी, भापाबो Chief Executive, HWB स्टेशन निदेशक, आरएपीएस Station Director, RAPS स्टेशन निदेशक, टीएपीएस Station Director, TAPS

प्रतिलिपि : सिन्(रामा), परुवि-हिंदी अभिलेख हेतु AD(OL), DAE - for Hindi Record.

मुख्य कार्यकारी, NFC Chief Executive, NFC.